कपास के मूल्यों में वृद्धि

2171. **श्री बापू साहिब परुलेकर :**
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कपास की फसल को हानि होने के कारण बाजार में कपास के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1983-84 के दौरान पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में कपास की फसल को अनियमित वर्षा और कीटों के हमले के कारण क्षति हुई थी। गुजरात के कुछ भागों में कपास की फसल पर ओलावृष्टि, शीत लहर और कीटों के हमले के कारण प्रभाव पड़ा। कच्ची कपास के थोक मूल्यों का सूचकांक सितम्बर, 1983 के 219.2 के मासिक औसत से बढ़कर 14 जुलाई, 1984 को 276.3 हो गया।

(ग) कपास की मौजूदा आपूर्ति पर दबाव कम करने की दृष्टि से सरकार ने जनवरी, 1984 से कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विस्कोस स्टेपल रेशे पर आयात शुल्क यथामूल्य 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया।

सागर मत्स्य स्त्रोतों की खोज

2172. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सागर मत्स्य स्रोतों की खोज का कार्य करती रहती है;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर यह खोज कार्य करती रहती है;

(ग) अब तक कितने मत्स्य स्रोतों का पता चला है तथा उनसे कितनी मात्रा में मछली पकड़ी गयी है;

(घ) कितने बड़े और छोटे पत्तनों का विकास किया गया है तथा ये कहां-कहां पर हैं; और

(ङ) उन पत्तनों से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में मछली पकड़ी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, बम्बई द्वारा भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मछली के संसाधनों की खोज की गयी है। भारतीय समुद्री तट सहित 40 फैदम गहराई तक लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र का डेमरसल ट्राल द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। हाल ही में लांग लिनिंग द्वारा समुद्री टूना, पसेनिंग द्वारा एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों तथा 40 फैदम से दूर बाटम ट्राल डेमरसल के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) समन्वेषी डेमरसल और मध्य-जल सर्वेक्षण से अनेक नये मत्स्यन क्षेत्रों और संसाधनों का पता चला है। सर्वेक्षण की मुख्य उपलब्धियां ये हैं:—

(1) केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री किनारों की झींगा मछली के लिए समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र।

(2) सौराष्ट्र समुद्री तट पर रिब्बन मछली, कैट मछली इत्यादि के अतिरिक्त पोमफ्रेट, मैकेरल, परचेस, स्किवड्स, कटल मछली, हार्स मैकेरल, सिएनिड्स के लिए संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र।

(3) आंध्र प्रदेश समुद्री तट से दूर पोमफ्रेट्स, मैकेरल और घोल इत्यादि के लिए नये मत्स्यन क्षेत्र

(4) बेज बैंक में परचेस, कटक मछली, कैरेरिन्ड्स इत्यादि जैसी अच्छी किस्म की मछलियों के लिए सम्भाव्य मत्स्यन क्षेत्र।

(5) मन्नार की खाड़ी में बार्गकुडा के लिए समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र।

(6) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में गहरे और दूरस्थ जल में गहरे समुद्र में झींगा गहरे समुद्र में लोबस्टर "बुल्स आई", "इंडियन ड्रफ्ट मछली", टूना, शार्क और बिल मछलियों की उपलब्धि। इनके अतिरिक्त, सम्भाव्य मत्स्यन क्षेत्र और सन्साधन तत्कालीन पी. एफ पी. ने आयल साडीन, मैकेरल, हार्स मैकेरल ह्वाइट बेट और अन्य समुद्री मछलियों जैसे पैलेजिक मात्स्यकी सन्साधनों का अनुमान लगाया था।

भारत में समुद्री मछली का उत्पादन 1981 में 14 45 लाख मीटरी टन, 1982 में 14.44 लाख मीटरी टन और 1983 में 15.32 लाख मीटरी टन (अनुमानित) था।

(घ) अब तक विशाखापत्तनम, कोचीन मद्रास और रायचौक में 4 प्रशुख मत्स्यन बंदरगाह तथा करवार, मात्पे. हीन्नावार, बिजिन्जम धामरा, तूतीकोरिन,कोडिक्कराय, माल्लीपटनम और फोनिक्सबे में 9 लघु मत्स्यन बन्दरगाह शुरू किए गए हैं।

(ङ) कुछ महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर 1982-83 के दौरान पकड़ी गयी मछली की मात्रा ये थी:— विशाखापत्तनम 5220 मीटरी टन, कोचीन 20,969 मीटरी टन, मद्रास 9244 मीटरी टन तथा तूतीकोरिन 9452 मीटरी टन।

भू-पृष्ठ जल के उपयोग हेतु सिंचाई संबंधी कानूनों में संशोधन

2173. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारी मात्रा मे जल उपलब्ध है, परन्तु कृषि के लिए केवल 10 प्रतिशत भू-पृष्ठ जल उपयोग किया जाता है और शेष जल का अधिकांश भाग समुद्र में बह जाता है;

(ख) क्या सिंचाई विभाग भूमि के क्षेत्र-फल के अनुसार जल की सप्लाई करता है जिसके परिणामस्वरूप किसान की भूमि बहुत जल सोख लेती है और इससे उनके खेतों की उत्पादकता पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार-भू पृष्ठ जल के उपयोग हेतु सिंचाई सम्बन्धी कानूनों में और संशोधन करने का है ना कि जल का उपयोग समुचित ढंग से हो उपयोग हो सके; और

(घ) यदि हां, तो सिंचाई सम्बन्धी वर्तमान कानूनों में कब तक संशोधन किए